न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प– बगड़ीनगर
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 96 / 2021

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादी**

1. चंपालाल पुत्र नेनाराम
2. आसुराम पुत्र नेनाराम
3. मांगीलाल पुत्र नेनाराम
4. विद्या देवी पुत्री कुनाराम
5. हीरालाल पुत्र कुनाराम
6. कानाराम पुत्र कुनाराम
7. सोहनलाल पुत्र कुनाराम
8. कमला देवी पुत्री कुनाराम
9. सुनिल पुत्र चन्द्रेश कुमार
10. राकेश पुत्र चन्द्रेश कुमार
11. माडी देवी पत्नी चन्द्रेश कुमार
    जाति घांची, निवासीगण बेरा साता निम्बडीया, बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली।

प्रतिवादी:

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. **श्री भुण्डाराम चौधरी, युगलकिशोर एण्ड हीरालाल कांठेर अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।**

सोजत (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक 08.11.2021

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बगडी नगर चक द्वितीय पटवार हल्का बगडी तहसील सोजत जिला पाली में इनके पूर्वज पिता / दादा / ससुर नेनाराम पुत्र छोगाराम व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि 'ए' के नया खाता नंबर 358 के खसरा नंबर 4758 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म गै. मु. बाडा, खसरा नंबर 4759 रकबा 3.9000 हैक्टर किस्म चा.प्र., जा.अ., खसरा नंबर 4760 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नंबर 4761 रकबा 0.4300 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा, खसरा नंबर 4763 रकबा 0.3500 हैक्टर किस्म चा.प्र, खसरा नंबर 4764 रकबा 2.7300 हैक्टर किस्म चा.प्र., जा.अ., खसरा नंबर 4765 रकबा 15.500 हैक्टर किस्म बं., जाव. अ,चा.प्र, कुल खसरा 07 कुल रकबा 23.1400 हैक्टर की कृषि भूमि में स्थित है। उपरोक्त खातेदारी भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता, वादी संख्या 4 के ससुर, वादी संख्या 5,9,10,11 के दादा तथा वादी संख्या 6 से 8 के परदादा नेनाराम पुत्र छोगाराम का 1 / 9 हक हिस्सा खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त का था। वादीगण के पिता / ससुर / दादा नेनाराम पुत्र छोगाराम की मृत्यु दिनांक 06.04.1992 को हो चुकी है। तब से कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है। वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त सुदा है। खातेदारी भूमि 'बी' के नया खाता संख्या 744 के खसरा नंबर 3579 रकबा 0.1373 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 3580 रकबा 0.7946 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 3635 रकबा 0.6071 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 3636 रकबा 0.4439 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 3640 रकबा 0.3094 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.2923 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण के पूर्वज के खातेदारी हक हकूक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

05 कुल रकबा 2.2923 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण के पूर्वज के खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त की थी। अब वादीगण के खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त की है। जिसमें वादी संख्या 4 से 11 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 1 से 3 का 1/16–4/16 हिस्सा यानि संपूर्ण भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त का है जिस पर कब्जा वादीगण का है। उक्त वर्णित खातेदारी कृषि ए जो वादीगण के पिता/ससुर/दादा/परदादा नेनाराम पुत्र छोगाराम व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी हक हकूक, कब्जा काश्तसुदा है तथा वर्तमान रेवेन्यू रेकर्ड में भी वादीगण के पिता/ससुर/दादा/परदादा का नाम वेना पुत्र छोगा के नाम से खातेदारी हक की दर्ज है। वादीगण के पिता/ससुर/दादा नेनाराम पुत्र छोगाराम जाति घांची का वक्त सैटलमेन्ट तक खातेदारी में नाम नेनाराम पुत्र छोगाराम इन्द्राज चला आ रहा है तथा सैटलमेन्ट के बाद वादस्थ सम्पति में वादीगण के पिता/ससुर/दादा का नाम नेनाराम के स्थान पर वेनाराम सहवन से टंकण की लिपीकीय भूल से हो चुका है। जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वेनाराम पुत्र छोगाराम जाति घांची सा देह खातेदार के रूप में चला आ रहा है। जबकि अन्य सम्पतियो मे जो वाद पत्र के खातेदारी भूमि बी में वादीगण के पिता/ससुर/दादा का नाम नेनाराम पुत्र छोगाराम इन्द्राज चला आ रहा है तथा वादीगण के राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य संपूर्ण दस्तावेजात के नेनाराम पुत्र छोगाराम चला आ रहा है जो संपूर्ण दस्तावेज वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता/ससुर/दादा का वर्तमान व सही नाम नेनाराम है तथा वेनाराम पुत्र छोगाराम नाम का कोई व्यक्ति उक्त भूमि की खातेदारी में सह खातेदार नही है ऐसी स्थिति में वादीगण ही रेवेन्यू रेकर्ड में वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत कर रहा है। रेवेन्यू रेकर्ड मे वादीगण के पिता/ससुर/दादा का नाम वेनाराम पुत्र छोगाराम दर्ज होने की वजह से वादीगण के नाम नामान्तरकरण नही हो रहा है तथा वादीगण वादस्थ कृषि भूमि के संबंध में कोई किसी प्रकार की सरकारी सहायता लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। वादीगण वादस्थ कृषि भूमि पर ऋण भी प्राप्त नही कर पा रहा है तथा अन्य सरकारी योजना का लाभ भी प्राप्त नही कर सकते है। इसलिये वादीगण यह घोषित करवाने के अधिकारी है कि वेनाराम पुत्र छोगाराम नेनाराम पुत्र छोगाराम है। इनके अलावा उक्त खातेदारी कृषि भूमि मे अन्य कोई व्यक्ति वेनाराम नही है व वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि की भूमि में वेनाराम के स्थान पर नेनाराम दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम इन्द्राज कर वादीगण की खातेदारी भूमि घोषित किया जावे तदर्थ यह दावा खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती का पेश है। बिनायदावा दिनांक 29.01.2021 को वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि की नकले लेने पर वादीगण के पिता/ससुर/दादा नेनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में वेनाराम अंकित होने की सर्वप्रथम जानकारी होने पर व तहसीलदार, सोजत को प्रार्थना पत्र देकर राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने का कहने पर इंकार कर देने से बमुकाम बगडी में पैदा हुआ है जो वाद अंदर म्याद पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने अर्थात् डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी रेकर्ड दुरस्त कर घोषित किये जाने की कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि ए की उक्त वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम रेकर्ड दुरस्त किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 पेश नहीं करना चाहने से जबाब दावा बन्द किया गया। तहसीलदार, सोजत एवं पटवारी हल्का बगडी चक प्रथम से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 08.11.2021 को पेश कर अंकित किया है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2074–77 बगडी के खाता संख्या 358 में वेनाराम पुत्र छोगाराम 1/9 दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

वर्तमान खाता संख्या 358 के खसरा नंबर 4758, 4759, 4760, 4761, 4763, 4764, 4765 दर्ज है। गत जमाबंदी भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी संवत 2029–32 में गत खसरा नंबर 2541, 2542, 2545, 2544 के खसरा नंबर 56 में नैना पुत्र छोगाराम 1/9 दर्ज है। भू प्रबंध के पश्चात मिसल बंदोबस्त संवत 2033–52 खसरा संख्या 104 खसरा संख्या 4758 से 4761, 4763 से 4765 में वेना वल्द छोगा 1/9 दर्ज है। भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त नाम में त्रुटि रही है। मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है, में भी नैनाराम पुत्र छोगाराम नाम से जारी है, दर्जसुदा है।

पत्रावली आज दिनांक 08.11.2021 प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प बगड़ीनगर में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं प्रमाणित प्रतिलिपि जमावंदी सम्वत् 2074–2077, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तन ख0न0 4758, 4759, 4760, 4761, 4763, 4764, 4765, 3579, 3580, 3635, 3636, 3640, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2029–32, नेनाराम पुत्र छोगाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, चन्द्रेश कुमार पुत्र कुनाराम, राशनकार्ड की छायाप्रति आदि दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि का इन्द्राज बतौर खातेदार वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम के नाम से दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सहवन से सदभाविक/मानवीय चूंक/भूलवश अंकित खातेदार वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर दुरूस्त रूप से नेनाराम पुत्र छोगाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम के नाम से दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बगडी नगर चक द्वितीय के वर्तमान खसरा नंबर वर्तमान खाता संख्या 358 के खसरा नंबर 4758, 4759, 4760, 4761, 4763, 4764, 4765 कुल खसरा 07 कुल रकबा 23.1400 है0 की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण व इनके भाईयों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि की सदभाविक/मानवीय चूंक/भूलवश गलत रूप से दर्ज खातेदार वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तत्पश्चात नेनाराम (फौत) के विरासत का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

नामान्तरकरण विधिवत् पारित करें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – बगडीनगर

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – बगडीनगर

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. चंपालाल पुत्र नेनाराम
2. आसुराम पुत्र नेनाराम
3. मांगीलाल पुत्र नेनाराम
4. विद्या देवी पुत्री कुनाराम
5. हीरालाल पुत्र कुनाराम
6. कानाराम पुत्र कुनाराम
7. सोहनलाल पुत्र कुनाराम
8. कमला देवी पुत्री कुनाराम
9. सुनिल पुत्र चन्द्रेश कुमार
10. राकेश पुत्र चन्द्रेश कुमार
11. माडी देवी पत्नी चन्द्रेश कुमार

जाति घांची, निवासीगण बेरा साता निम्बडीया, बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीः–

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 96 / 2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री भुण्डाराम चौधरी, एवं श्री युगल किशोर तथा श्री हीरालाल कांठेर अधिवक्तागण वादीगण तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा बगडी नगर चक द्वितीय के वर्तमान खसरा नंबर वर्तमान खाता संख्या 358 के खसरा नंबर 4758, 4759, 4760, 4761, 4763, 4764, 4765 कुल खसरा 07 कुल रकबा 23.1400 है0 की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण व इनके भाईयों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि की सदभाविक / मानवीय चूॅक / भूलवश गलत रूप से दर्ज गलत प्रविष्टि खातेदार वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वेनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र छोगाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08.11.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.